



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138]
No. 138]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2015/वैशाख 4, 1937
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2015/VAISAKHA 4, 1937

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2015

सं.विधि 42 (3)/87.— पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन जारी अधिसूचना सं. 145 (अ) दिनांक 21 फरवरी, 1991 के खण्ड 1 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा 1 के खण्ड (ख) और धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032 एतद्वारा (क) नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को सौंपे गये कार्य करने हेतु "पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं" के रूप में और (ख) तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विश्लेषण के लिए भेजे गये वायु, जल, एवं अन्य पदार्थों के स्तंभ (4) में दर्शाए गए पैरामीटरों के संबंधित समूहों के लिए विनिर्दिष्ट नमूनों का विश्लेषण करने हेतु सरकारी विश्लेषक के रूप में मान्यता देता है। दिनांक 14 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या विधि/42(3)/87 की क्रम संख्या 154 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा, अर्थात:

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषक का नाम	मान्यता हेतु पैरामीटर समूह
1.	2.	3.	4.
155	केन्द्रीय प्रयोगशाला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कल्पतरू, पोईट, 2-4 तल, साइने प्लेनेट सिनेमा के सामने, सियोन सर्कल के समीप, सियोन (पूर्वी) मुम्बई-400022	1. डा. ए.आर. सुपाते, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी 2. श्रीमती विद्या डी. पेडनेकर, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 3. श्रीमती नीता के. मोहिरे, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 4. डा. डी.जी. तारे, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 5. श्रीमती रजना डी. राणे, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 6. श्रीमती स्वप्ना एम. सातम, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	भौतिक, सामान्य, रसायन एवं गैर मेटेलिक, धातु, कार्बनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञानिक, विष विज्ञानिक, जैवकीय, मृदा स्लज, तलछट, परिसंकटमय अपशिष्ट और परिवेशी वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर, स्रोत उत्सर्जन, शोर और सूक्ष्म मौसम विज्ञानिक पैरामीटर

इस प्रकार उल्लिखित पर्यावरणीय प्रयोगशाला तथा सरकारी विश्लेषक अधिसूचना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगे।

शशि शेखर, अध्यक्ष

[विज्ञापन- III/4/असा./ 184/15]

पाद टिप्पणी:

मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 728 (अ) दिनांक 21.07.1987 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसके पश्चात उसमें निम्नलिखित के द्वारा संशोधन किये गये : (1) का.आ. 838 (अ), दिनांक 23.09.87 (2) का.आ. 989 (अ) दिनांक 17.11.87 (3) का.आ. 489 (अ) दिनांक 17.05.88 (4) का.आ. 156 (अ) दिनांक 24.02.89 (5) का.आ. 846 (अ) दिनांक 24.10.89 (6) का.आ. 375 (अ) दिनांक 26.04.1990 (7) का.आ. 803(अ) दिनांक 23.09.92 (8) का.आ. 97 (अ) दिनांक 05.12.1994 (9) का.आ. 418(अ) दिनांक 31.03.1996 (10) का.आ. 889 (अ) दिनांक 31.08.1996 (11) का.आ. 452 (अ) दिनांक 31.05.97 (12) का.आ. 631 (अ) दिनांक 31.05.1998 (13) का.आ. 336 (अ) दिनांक 01.01.1999 (14) का.आ. 44 (अ) दिनांक 15.01.2001, (15) का.आ. संख्या 490 (अ), दिनांक 01.06.2001 (16) का.आ. संख्या 532 (अ), दिनांक 01.01.2002, (17) का.आ. संख्या 1168 (अ), दिनांक 01.06.2002, (18) का.आ. संख्या 888 (अ), दिनांक 01.06.2003, (19) विधि/42(3)/87, दिनांक 01.06.2004, (20) विधि/42(3)/87, दिनांक 01.03.2005 (21) विधि/42(3)/87, दिनांक 01.09.2005, (22) विधि/42(3)/87, दिनांक 15.12.2005, (23) विधि/42(3)/87, दिनांक 01.05.2006, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.09.2006, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.01.2007, विधि/42(3)/87 दिनांक 15.04.2007, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.08.2007, विधि/42(3)/87, दिनांक 01.10.2007, विधि/42(3)/87, दिनांक 01.02.2008, विधि/42(3)/87, दिनांक 01.4.2008, विधि/42(3)/87, दिनांक 01.10.2009, विधि/42(3)/87, दिनांक 15.01.2010, विधि/42(3)/87, दिनांक 20.09.2010, विधि/42(3)/87, दिनांक 27.01.2011 और विधि/42(3)/87 दिनांक 31.01.2012 और 14.08.2014।

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2015

No. Legal 42(3)/87.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and Section 13 read with clause 1 of the Notification No. 145 (E), dated 21st February, 1991, issued under Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032 hereby recognize, (a) the Laboratory specified in column (2) of the Table below as 'Environmental Laboratory' to carry out the functions entrusted to the environmental laboratories under the said Act, and the rules made thereunder and (b) specified persons in column (3) of the Table as the Government Analysts for the purpose of analysis of samples of air, water, or other substances sent for analysis, specified for respective groups of parameters mentioned in column (4). After Sr. No. 154 of the Notification No. Legal/42(3)/87, dated 14th August, 2014, and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be added namely :

S.No.	Name of Laboratory	Name of the Govt. Analysts	Recognized for parameter groups
(1)	(2)	(3)	(4)
155	Central Laboratory Maharashtra Pollution Control Board, Kalpataru Point, 2nd-4th Fl Opp. Cine Planet Cinema, Near Sion Circle, Sion (E) Mumbai-400022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. A.R. Supate Principal Scientific Officer 2. Smt. Vidya D. Pednekar Junior Scientific Officer 3. Mrs. Neeta K. Mohire Junior Scientific Officer 4. Dr. D.G. Tare Junior Scientific Officer 5. Mrs. Ranjana D. Rane Junior Scientific Assistant 6. Mrs. Swapna M. Satam Junior Scientific Assistant. 	Physical, General, Chemical & non-metallic, metals, organics, microbiological, Toxicological, biological, soil, Sludge, Sediments, Hazardous waste, air pollution parameters for analysis of ambient air, source emissions, noise and micro-meteorological parameters.

The Environmental Laboratory and the Government Analysts so mentioned shall remain valid for a period of five years from the date of issue of Notification.

SHASHI SHEKHAR, Chairman

[ADVT III/4/Exty./184/15]

Foot Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide No. S.O. 728(E), dated 21-7-1987 and subsequently amended vide- (1) Nos. S.O. 838 (E), dated 23-9-87, (2) S.O. 989 (E), dated 17-11-87, (3) S.O. 489 (E), dated 17-5-88, (4) S.O. 156(E), dated 24-2-89, (5) S.O. 846(E), dated 24-10-89, (6) S.O. 375(E), dated 26-4-1990, (7) S.O. 803 (E), dated 23-9-92, (8) S.O. 97(E), dated 5-12-1994, (9) S.O. 418 (E), dated 31-3-1996, (10) S.O. 889(E), dated 31-8-1996, (11) S.O. 452(E), dated 31-5-97, (12) S.O. 631(E), dated 31-5-1998, (13) S.O. 336(E), dated 1-1-1999, (14) S.O. 44(E), dated 15-1-2001, (15) S.O. 490(E), dated 1-6-2001, (16) S.O. 532(E), dated 1-1-2002, (17) S.O. 1168(E), dated 1-6-2001, (18) S.O. 888(E), dated 1-6-2003, (19) Legal/42(3)/87, dated 1-6-2004, (20) Legal/42(3)/87, dated 1-3-2005, (21) Legal/42(3)/87, dated 1-9-2005, (22) Legal 42(3)/87, dated 15-12-2005, (23) Legal /42(3)/87, dated 1-5-2006, Legal/42(3)/87,dated1-9-2006,Legal/42(3)/87,dated1-1-2007, Legal /42(3)/ 87, dated 15-4-2007, Legal /42(3)/87, dated 1-8-2007, Legal /42(3)/87, dated 1-10-2007, Legal /42(3)/87, dated 1-2-2008, Legal /42(3)/87, dated 1-4-2008, Legal /42(3)/87, dated 1-10-2009, Legal /42(3)/87, dated 15-1-2010 Legal /42(3)/87, dated 20-9-2010 , Legal/42(3)/87 dated 27 - 01-2011and Legal/42(3)/87 dated 31 -1-2012 and 14-8-2014.